निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राजस्थान)

मिसल न0 39 / प्रा0पत्र / 23 तारीख दायरा 03.03.2023

राज0 सरकार जर्ये पुलिस थाना सदर झालावाड

बनाम

शाकिर वगै0

प्रथम सूचना रिपोर्ट स0 30 / 2023 थाना सदर
जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम
प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए वास्ते सुपुर्दगी वाहन संख्या एमपी 42 जी 4075

मिसल नं0 87 / प्रा0पत्र / 23 तारीख दायरा 23.08.2023

''एयू.स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड''(जो पूर्व में''ए.यू. फाईनेन्सर्स(इंडिया)लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19—ए.धुलेश्वर गार्डन,अजमेर रोड़,जयपुर जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

01. राज्य सरकार राजस्थान जरिये लोक अभियोजक
02. शाकिर मंसूरी पुत्र श्री सुबान खां

प्रथम सूचना रिपोर्ट स0 30 / 2023 थाना सदर
जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम
प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 / 457 / 459 द0प्र0सं0 वास्ते सुपुर्दगी वाहन संख्या एमपी 42 जी 4075

उपस्थितः— सहायक निदेशक अभियोजन
श्री कविम जैन, अभिभाषक प्रार्थी
अनुपस्थितः—श्री गजेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी बैंक

—ः निर्णय :— दिनांक :07.02.2024

प्रा0पत्र संख्या 39 / 23 प्रार्थी शाकिर पुत्र सुभान जाति मुसलमान नि0 परोलिया थाना जीरापुर मध्यप्रदेश द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा0पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना सदर झालावाड़ द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 के जुर्म में प्रार्थी का एक वाहन एमपी 42 जी 4075 जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। वाहन पुलिस थाना में अत्यधिक समय तक खडा रहने से प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी की सुपुर्दगी में वाहन दिया जाने पर सभी शर्तों की पालना की जावेगी। वाहन की सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

प्रा0पत्र संख्या 87 / 23 प्रार्थी बैक ''एयू.स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड द्वारा जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा0पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना सदर झालावाड़ द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 के जुर्म में प्रार्थी का एक वाहन

एमपी 42 जी 4075 जप्त किया गया है के संबध में प्रार्थन अन्तर्गत धारा 451,457,459 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त किया गया वाहन एयू स्माल फायनेंस लि0 द्वारा फायनेंस होने पर उक्त वाहन पर अपना मालिकाना हक रहन पेटे बताया/जताया है जिसके संदर्भ में कंपनी द्वारा उक्त धाराओं के तहत प्रकरण निस्तारित कर वाहन संभलाये जाने की इस्तदुआ है।

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन एमपी 42 जी 4075 को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है। जप्त वाहन एमपी 42 जी 4075 में 03 नर गौवंश भरे होना व गोवंशों के परिवहन का अनुज्ञापत्र नहीं होना होना अंकन किया गया है ।

प्रकरण संख्या 39/प्रार्थना/23 में बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का एक वाहन एमपी 42 जी 4075 को पुलिस द्वारा दिनांकः 28.01.2023 को जप्त किया गया है । प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क)में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रा0पत्र स्वीकार कर जप्त शुदा वाहन सुपुर्दगी में दिया जावे।

प्रकरण संख्या 87/प्रार्थना/23 में अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित रहने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। प्रकरण संख्या 87/23 वकील प्रार्थी के अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप एकतरफा कार्यवाही करते हुए खारिज किया जाता है।

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त वाहन का अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार वाहन एमपी 42 जी 4075 में 03 नर गौवंश बैल भरे होना व अवैद्य परिवहन बाबत अंकन किया गया है। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा पशु खरीद बाबत कोई दस्तावेज या सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति के दस्तावेज पेश नही किये है। अतः गोवशं के अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्ठी होती है, प्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से एक ही वाहन में 03 नर गोवंश बैलों को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 5,6,8,9 की पुष्टी करता है।

जिला कलक्टर झालावाड़

अतः विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पुलिस थाना सदर झालावाड़ द्वारा प्र.सू.रि.स. 30/2023 में जप्त वाहन एमपी 42 जी 4075 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं इसी कम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना सदर को जप्त वाहन एमपी 42 जी 4075 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। राशि जमा नही कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जर्ये निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना सदर झालावाड़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांकः 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़